

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी./2013/डी- 2581

दिनांक:- 26/11/2013

कार्यवाही विवरण

विषय :- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 151वीं बैठक दिनांक 12.11.2013 को दोपहर 1.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय
1.	151.1	बी.पी.सी. (बिल्डिंग प्लान) की 150वीं बैठक दिनांक 31.10.2013 को सम्पन्न हुई, जिसका कार्यवाही विवरण अभी जारी नहीं किया गया। कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावेगी।	बी.पी.सी. (बिल्डिंग प्लान) की 150वीं बैठक दिनांक 31.10.2013 को सम्पन्न हुई, जिसका कार्यवाही विवरण अभी जारी नहीं किया गया। कार्यवाही विवरण की पुष्टि पर संतोष व्यक्त किया गया एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावेगी।
2.	151.2	भूखण्ड संख्या सी-5ए, सी-5डी, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर में प्रस्तावित आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बेसमेन्ट, स्टिल्ट व खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. आवेदक के प्रस्तावानुसार भवन का निर्माण दो आवासीय ईकाईयाँ बेसमेन्ट से चतुर्थ तल तक प्रस्तावित की गई, इस प्रकार पूरे भूखण्ड में केवल दो आवास इकाईयां प्रस्तावित की गई है। स्वतंत्र आवासीय भवन के लिए अधिकतम अनुज्ञेय ऊँचाई 14 मीटर है। भवन विनियम की तालिका 1 की टिप्पणी के बिन्दु संख्या IV अनुसार यदि किसी भूखण्ड पर 12 मीटर से अधिक ऊँचाई का भवन बनाना प्रस्तावित हो तो तालिका 2 तथा तालिका 2 की टिप्पणी के अनुसार प्रावधान देय होंगे।

			<p>आवेदक श्री रामदास माहेश्वरी समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा चार इकाईयों (फ्लैट्स) का संशोधित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावित प्रस्ताव फ्लैट्स के अन्तर्गत स्वीकार्य किया गया एवं प्रस्तावित ऊँचाई 24.25 मीटर को अनुज्ञेय किया गया।</p> <p>3. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>4. भवन की ऊँचाई उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव में छतरियाँ प्रस्तावित की गई है, जो भवन की सौन्दर्यता एवं पारम्परिक शैली में रखी है, जिन्हे आर्किटेक्चरल फीचर मानते हुए अनुज्ञेय किया जावे।</p> <p>5. संशोधित भवन मानचित्र के लिए परीक्षण शुल्क लिया जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
3.	151.3	<p>भूखण्ड संख्या-7 (L-2B)II, सेक्टर-7, विद्याधर नगर योजना में प्रस्तावित आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. स्टिल्ट फ्लोर व खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>2. आवेदक के प्रस्तावानुसार स्टिल्ट फ्लोर + 4 मंजिल कुल 15 मीटर ऊँचाई में प्रस्तावित है। स्टिल्ट फ्लोर पार्किंग हेतु प्रस्तावित है। विद्याधर नगर के भवन विनियम के अनुसार भूतल + 3 तल अनुज्ञेय है। भवन की ऊँचाई 15 मीटर निर्धारित है। पूर्व में</p>

			<p>ग्रुप हाउसिंग के अन्य भूखण्डों में स्टिल्ट फ्लोर + 4 मंजिल अनुज्ञेय किए जा चुके हैं। अतः आवेदक के भवन मानचित्र में भी तदानुरूप स्टिल्ट + 4 मंजिल अनुमोदित किया जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
4.	151.4	भूखण्ड संख्या 3 व 4, ज्ञान विहार योजना में प्रस्तावित आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि स्टिल्ट फ्लोर व खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
5.	151.5	खसरा संख्या 16/1, ग्रुप हाउसिंग ब्लॉक-बी, (निजी खातेदार), ग्राम-धारुवास, तहसील-जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक प्रस्तावित है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। 4. भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 130वीं बैठक दिनांक 05.02.2013 में प्रकरण को प्रस्तुत किया

			<p>जाकर भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये गये। जारी भवन मानचित्रों में, आवेदक द्वारा बेसमेन्ट मानचित्र में वर्तमान प्रचलन अनुसार 200 मैकेनिकल कार पार्किंग प्रस्तावित की गई थी जबकि वर्तमान में आवेदक द्वारा संशोधित भवन मानचित्र में बेसमेन्ट मानचित्र में 36 मैकेनिकल कार पार्किंग प्रस्तावित की गई है। मैकेनिकल पार्किंग को रिहायशी/आवासीय बहुमंजिले परिसर के लिए रख-रखाव आदि के कारण उपयुक्त नहीं पाया गया। अतः सरफेस पार्किंग के अनुसार एफ.ए.आर. स्वीकृत किया जावे एवं तदानुसार संशोधन करवाया जावे।</p> <p>5. प्रस्तावित मानचित्र में नियमानुसार EWS/LIG का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
6.	151.6	भूखण्ड संख्या 307, 308, 309 व 310, योजना ऑफिसर्स कैम्पस, सिरसी रोड़, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
7.	151.7	भूखण्ड संख्या जी.एच.-4, वैशाली एस्टेट, ब्लॉक-बी, ग्राम-सिरसी, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. लोअर बेसमेन्ट, अपर बेसमेन्ट, रिट्ल्ट व खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम</p>

			<p>10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>3. मानक एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. के लिए विनियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी ली जावे।</p> <p>4. आवेदक के प्रस्तावानुसार अनुज्ञेय आच्छादित क्षेत्र 35 प्रतिशत के विरुद्ध 37.58 प्रतिशत आच्छादित क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। भवन विनियम-2010 (संशोधित-2011) की तालिका-2 की टिप्पणी के अनुसार "तालिका के क्रम संख्या-2 बिन्दु संख्या (iv) में अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त अनुज्ञेय किया जा सकेगा। अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्र पर 100 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से बेटरमेन्ट लेवी ली जावेगी। लेकिन अधिकतम एफ.ए.आर. व टी.डी.आर. के उपयोग की स्थिति बेटरमेन्ट लेवी पुनः नहीं ली जावेगी।"</p> <p>प्रश्नगत प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. के लिए बेटरमेन्ट लेवी ली जावे एवं भवन विनियम के उक्त प्रावधानानुसार अधिक आच्छादित क्षेत्र के लिए पुन बेटरमेन्ट लेवी नहीं ली जावे।</p> <p>5. कुल निर्मित क्षेत्र 20,000 व.मी. से अधिक है। अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
8.	151.8	खसरा नम्बर 192, ग्राम-सुशीलपुरा, अजमेर रोड़, जयपुर के व्यावसायिक भवन के संशोधित मानचित्र अनुमोदन बाबत् व सातवें तल तक अधिवास प्रमाण पत्र	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। आवेदक के वास्तुविद् द्वारा संशोधित मानचित्रों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये</p>

	<p>जारी करने बाबत।</p>	<p>गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 12 के कॉलम 2 में भवन विनियमानुसार अंकित पार्श्व-1, पार्श्व-2 व पीछे के सेटबैक को 10 मीटर के स्थान पर 9 मीटर पढ़ा जावे। 2. लोअर बेसमेन्ट, मिडिल बेसमेन्ट, अपर बेसमेन्ट व खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 3. संशोधित भवन मानचित्र के लिए परीक्षण शुल्क लिया जावे। 4. कुल निर्मित क्षेत्र 22036.14 व.मी. है। राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड से जारी प्रमाण-पत्र 19917.36 व.मी. निर्मित क्षेत्र के लिए है। अतः संशोधित मानचित्र के लिए संशोधित प्रमाण-पत्र लिया जावे। 5. मानचित्र में दर्शाए गए वृत्ताकार कट-आउट को प्रथम तल पर अस्थाई रूप से स्टील प्लेट संरचना से कवर कर लिया गया है। आवेदक द्वारा जिसे अस्थाई मानते हुए आच्छादन व एफ.ए.आर. गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है। उक्त कट आउट को आच्छादन में शामिल करने पर आच्छादन 40.77 प्रतिशत प्राप्त होता है। जविप्रा से जारी साईट प्लान व भवन विनियम-2000 के अनुसार अनुज्ञेय आच्छादन 35 प्रतिशत है। भवन विनियम-2010 की तालिका-4 के अनुसार उक्त क्षेत्रफल के भूखण्डों में अनुज्ञेय आच्छादन 40 प्रतिशत है। तालिका-4 की टिप्पणी के अनुसार 5 प्रतिशत अतिरिक्त कुल 45 प्रतिशत तक आच्छादन अनुज्ञेय किया जा सकता है। अतः निर्मित भवन के आच्छादन 40.77 प्रतिशत को
--	------------------------	--

6

Handwritten signature

			<p>बेटरमेन्ट लेवी लिये जाकर अनुज्ञेय किया जावे।</p> <p>6. स्वामित्व व लेखा रिपोर्ट जोन से प्राप्त की जावे।</p> <p>7. आवेदक द्वारा सातवे तल तक अधिवास प्रमाण पत्र चाहा गया है। संशोधित भवन मानचित्र (सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्रफल) के अनुमोदन उपरान्त ही अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र के लिए प्राप्त होने पर ही सातवे तल तक का अधिवास प्रमाण पत्र दिया जावे।</p> <p>8. वर्षाजल संग्रहण हेतु अधिशाषी अभियन्ता-पी.एच.ई. से प्रमाण-पत्र लिया जावे।</p> <p>9. पॉचवे व छठे तल पर मिनी थियेटर का अधिवास प्रमाण-पत्र चाहा गया है, अतः मिनी थियेटरों के लिये पुलिस आयुक्त का स्थाई प्रमाण-पत्र लिया जावे।</p> <p>10. अपर बेसमेन्ट व भूतल में मैकेनिकल पार्किंग को भवन विनियम के प्रावधानानुसार 2.5 मीटर X 5 मीटर कार पार्किंग हेतु स्पेस संशोधित मानचित्रों में दर्शाया गया है, जिसका की सत्यापन मौका निरीक्षण किया जाकर सुनिश्चित किया जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् संशोधित भवन मानचित्र एवं सातवे तल तक का अधिवास प्रमाण पत्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
9.	151.9	<p>खसरा नम्बर 554/2, ग्राम-जयसिंहपुरा, तहसील-सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है</p>

			<p>अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.33 अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा 2.88 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.33 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
10.	151.10	पुर्नगठित भूखण्ड संख्या ए-7 एवं ए-10, नन्दन विहार योजना में आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार निम्न अतिरिक्त एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।			
11.	151.11	भूखण्ड संख्या-142 विद्युत नगर-बी योजना के आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. आवेदक द्वारा अनुमोदन हेतु हरी पत्रावली में आवेदन दिनांक 13.05.2013 को किया गया था। नगरीय विकास विभाग से भवन विनियम-2010 में संशोधन बाबत् जारी आदेश दिनांक 20.09.2013 के बिन्दु संख्या 19 के अनुसार "ऐसे प्रकरण जो आदेश दिनांक 02.08.2013 से पूर्व आवेदित है। परन्तु जिन पर सक्षम समिति द्वारा निर्णय लिया जा चुका है उन सभी पर पूर्व के भवन विनियमों के प्रावधान लागू होंगे। जिन प्रकरणों में सक्षम समिति द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे प्रकरणों में</p>

			<p>आवेदक पूर्व के नियम अथवा संशोधित प्रावधानों के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदन कराने हेतु स्वतंत्र होगा।”</p> <p>आवेदक द्वारा पूर्व के भवन विनियम के अनुसार मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। प्रश्नगत भूखण्ड 9 मीटर सड़क पर स्थित होने के कारण वर्तमान प्रचलित भवन विनियम के अनुसार अधिकतम भूतल + दो मंजिलें अथवा 12 मीटर ऊँचाई मय स्टिल्ट अनुज्ञेय की जावे।</p> <p>2. मौके पर निर्मित स्टिल्ट तल के लिए बिना अनुमति निर्माण शास्ति ली जावे।</p> <p>3. स्टिल्ट व खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
12.	151.12	<p>खसरा नम्बर 89/2, 81/123, 87/122/1, ग्राम खो-रेबारियान, तहसील-सांगानेर, खो-नागोरियान रोड, जगतपुरा के पास, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
13.	151.13	<p>भूखण्ड संख्या 5 व 6, मालवीय नगर संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर के प्रस्तावित अपभ्रंश एकेडमी के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p>

			उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
--	--	--	---

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

26/11/13

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

10

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 151वीं बैठक दिनांक 12.11.2013 को दोपहर 1.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री अभय कुमार, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री बिष्णु कुमार मल्लिक, सचिव, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 3. श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक आयोजना, जविप्रा जयपुर। | सदस्य |
| 4. श्री त्रिभुवनपति, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 5. श्री दीपक नन्दी, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 6. श्री नीरज तिवाड़ी, अतिरिक्त मुख्य नियोजक बीपीसी, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य सचिव |

विशेष आमंत्रित:-

7. श्रीमती साधना शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी, जविप्रा, जयपुर।

26/11/13
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
दिनांक:- 26/11/2013

क्रमांक जविप्रा अति.मु.न.नि./बीपीसी/2013/डी-258)

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति० आयुक्त (पूर्व)/प्रशासन/(एलपीसी)/(भूमि) एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
5. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

26/11/13
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बीपी)